



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



विज्ञापन संख्या:-09/2024

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB&VI) के तहत राज्य के सभी जिला अस्पताल (DH), अनुमंडलीय अस्पताल (SDH), रेफरल अस्पताल (RH), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) नेत्र सहायक (Ophthalmic Assistant) के संविदागत रिक्त पदों (एकमुश्त मानदेय 15,000/- रुपये प्रतिमाह) पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदनाम	पदों की कोटिवार विवरणी							कुल*	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
	(35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी को देय आरक्षण सहित)								
	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	WBC		
Ophthalmic Assistant	87	22	35	03	40	26	07	220	i) I.Sc (Biology or Mathematics)/10+2 (Biology or Mathematics) with two years Diploma in Optometry or trained for two years as Ophthalmic Assistant in any of the recognized Government Hospital as per guidelines of NPCB. OR ii) I.Sc (Biology or Mathematics)/10+2 (Biology or Mathematics) with 2 years Diploma in Ophthalmic Assistant from Government/Private/Semi-Government institute recognized by Government of Bihar.

(UR-Unreserved, EWS-Economically Weaker Section, SC-Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, EBC-Extremely Backward Class, BC-Backward Class, WBC-Women of Backward Classes)

* सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-10105 दिनांक 28.06.2024 के आलोक में प्रकाशित पद हेतु नियोजन संबंधी कार्रवाई CWJC no. 16760/2023 में दिनांक 20.06.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) No. - 014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024 एवं SLP (C) No. - 014430/2024 में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगे। आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

आयु सीमा- दिनांक 01.10.2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार निम्नानुसार से अधिक न हो:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरुष) | - | 37 वर्ष |
| (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) | - | 40 वर्ष |
| (iii) अनारक्षित वर्ग/EWS (महिला) | - | 40 वर्ष |
| (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) | - | 42 वर्ष |
| (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-62, दिनांक- 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। | | |
| (vi) विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हों। | | |

सामान्य निर्देश-

- आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए **Cut off Date- 01.10.2024** होगी।
- इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- <https://shs.bihar.gov.in/> के "HUMAN RESOURCE>>Advertisement" page पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके विस्तृत-निर्देशों का अनुपालन करते


हुए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु विहित TOR एवं विस्तृत-निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी।

3. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/कॉउंसेलिंग के समय यदि अभ्यर्थी उन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। इस हेतु निर्धारित Cut off Date- 01.10.2024 माना जाएगा।
4. उक्त पद के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि/समय निम्नवत् निर्धारित है :-

प्रारंभिक तिथि एवं समय	10.12.2024 के 10:00 बजे पूर्वाह्न से
अंतिम तिथि एवं समय	31.12.2024 के 06:00 बजे अपराह्न तक

5. विज्ञापित पद की रिक्ति की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए, विज्ञापन को रद्द करने/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

h


कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार